ायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमन्द

ठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
कदमा नम्बर – 110/2018
स्म मुकदमा – वाद
यर दिनांक – 02.08.2018
र्णय दिनांक – 3/4/25

अनवान

1. नारायण लाल पिता चुन्नीलाल जी जाति कुमावत, मो०–9828070104
2. मुकेशचन्द्र पिता लालुराम जी जाति ब्राहम्ण,
3. राजेश पिता लालुराम जी जाति ब्राहम्ण,
4. वरदीचन्द पिता चुन्नीलाल जी जाति कुमावत
5. रोशनलाल पिता चुन्नीलाल जी जाति कुमावत,
6. लालुराम पिता चुन्नीलाल जी जाति कुमावत,
7. अमरचन्द पिता चुन्नीलाल जी जाति कुमावत,
8. नानी बाई पत्नि चुन्नीलाल जी जाति कुमावत निवासीयान् माउ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. रोशनलाल पिता गोटुलाल जी जाति तेली निवासी पछमता हाल रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द मो.–9413020132

......................वादीगण

बनाम

1. गोटी बाई पत्नि मुरलीधर जी जाति लौहार, उम्र वयस्क, निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. शंकरलाल पिता गोकल जी जाति जाट उम्र वयस्क, निवासी राजपुरी सुखवाल पिता शंकर जी प्रजापत तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. उदी बाई पत्नि रोशनलाल जी जाति प्रजापत उम्र वयस्क, निवासी –लक्ष्मीपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. सोहनी देवी पत्नि देवकिशन जी जाति प्रजापत, उम्र वयस्क, निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. रोशन देवी पत्नि मदनलाल जी जाति प्रजापत, उम्र वयस्क, निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. मांगी देवी पत्नि खेमराज जी जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. कालुराम पिता घासीराम जी जाति जाट, निवासी रतनपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
8. सोहनी देवी पत्नि रामचन्द्र जी जाति प्रजापत, उम्र वयस्क, निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. पारस बाई पत्नि रतनलाल जी जाति प्रजापत, उम्र वयस्क, निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. बद्रीलाल पिता भैरा जी जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी लक्ष्मीपुरा २७ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
11. कस्तुर बाई पत्नि सुआलाल जी जाति कलाल, उम्र वयस्क, निवासी गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
12. मागी बाई पत्नि खेमराज जी जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
13. हेमलता पत्नि अनिल जी जाति अग्रवाल, उम्र वयस्क, निवासी बाहुबली कॉलोनी बांसवाडा
14. विभा पत्नि गोविन्द जी जाति अग्रवाल, उम्र वयस्क, निवासी 3/33 माही सरोवर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बांसवाडा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

15. कृष्णा पत्नि अशोक जी जाति अग्रवाल महाजन, निवारी आदर्श नगर, 16/7 निवर्सिटी रोड उदयपुर जिला उदयपुर
16. सुनिल पिता भगवतीलाल जी जाति अग्रवाल महाजन उम्र वयस्क निवासी ए–77/6 राजपुरा दरीबा कॉलोनी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
17. नानालाल पिता भुरालाल जी जाति सुखवाल उम्र वयस्क, निवासी ूंज बामणिया कला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
18. बाली देवी पत्नि शान्तिलाल जी जाति कमावत उम्र वयस्क, निवासी शकरलाल पिता मोहन लाल कुम्हार नि रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
19. हीरालाल पिता रामलाल जी जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी बाडीया कुरज, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
20. पारस देवी पत्नि शुम्भुगिरी जी जाति गोस्वामी, उम्र वयस्क, निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
21. राजेश कुमार पिता रतनलाल जी जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
22. यशपाल पिता बद्रीनारायण जी जाति खण्डेलवाल ब्राहम्ण, उम्र वयस्क, निवासी गंगरार जिला चित्तोडगढ
23. सीमा पिता सुशील कुमार जी जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी झाडोल, उदयपुर जिला उदयपुर
24. कनक पत्नि रविन्द्र जी जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी झाडोल, उदयपुर जिला उदयपुर
25. राधा बाई पत्नि माधुलाल जी जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
26. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

......................प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

अधिवक्ता वादीगण – रोशनलाल साहू
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, 18 – लादूलाल जाट
अधिवक्ता प्रतिवादी 4, 5, 8, 9, 20 – आर.के.चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 7 – परसराम जाट
अधिवक्ता प्रतिवादी 17 – आर.के.सनाढ्य
अधिवक्ता प्रतिवादी 3, 12 – राजकुमार जोशी
अधिवक्ता प्रतिवादी 25 – दीप्ति दीक्षित

निर्णय

प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की सरहद में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 25 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात स्थित है। जिसके वर्तमान खाता सं. 1459 होकर आराजी सं. 2952 रकबा 5–00 पांच बिघा स्थित है। वाद वर्णित आराजी संख्या 2952 में वादी सं. 1 का 1050/87120 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1050/87120 हिस्सा, वादी सं. 3 का 1050/87120 हिस्सा, वादी सं. 1, 4, 5, 6, 7, 8 का संयुक्त रूपेण 1350/87120 हिस्सा एवं वादी सं. 9 का 1440/87120 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है। इसी हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण भूमियों का उपयोग उपभोग कर रहे है। वाद वर्णित आराज का विभाजन विधिवत राजस्व रेकार्ड में नही हुआ है आपसी सहमति के आधार पर सुविधा अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है तथा अपने हिस्से अनुसार काबिज है तथा भूमि के विकास के लिये वादीगण राजस्व रेकार्ड में विभाजन कराकर मौके पर स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त करना चाहते है तथा राजस्व रेकार्ड में भी अपना स्वतंत्र अंकन कराना चाहते है जिसके लिये वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण वादीगण को वाद में वर्णित आराजी में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट पैदा नहीं करे इस हेतु प्रतिवादीगण सं 1 से लगायत 25 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना नितान्त आवश्यक है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक
(उप खण्ड अधिक
रेलमगरा

वादीगण को अपने हिस्से की जमीन में बाधा रूकावट, हस्तक्षेप कारित नही करे। भूमि के विकास एवं समुचित उपयोग उपभोग करने में तथा लगान आदि जमा कराने में विभाजन कराया जाना नितान्त आवश्यक है। जिस निमित्त वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। खातेदार श्री चुन्नीलाल पिता तुलसीराम जी कुमावत निवासी माउ की मृत्यू हो चुकी है तथा उक्त भूमियों का नामान्तरकरण निर्णित नहीं होने से उनके विधिक वारिसान् को पक्षकार बनाया गया है जो वादी सं. 1, 4, 5, 6, 7, 8 है। प्रतिवादी सं 26 भूमिधारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा वाद विभाजन का होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है मगर प्रतिवादी सं 26 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई दाद नही चाही गई है। अतः वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 25 के विरूद्ध इस आशय की प्रारम्भिक व अन्तिम डिकी प्रचलित फरमाई जावे कि वादपत्र मे वर्णित हिस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर वादीगण को अपने हिस्से का स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावे एवं उसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र अंकन फरमाया जाने की डिकी प्रचलित फरमाई जावें। विभाजन के पश्चात् वादीगण को प्राप्त होने वाली आराजीयात में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी हस्तक्षेप, बाधा कारित नही करे इस निमित प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 25 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 13.03.2019 को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 व 18 की ओर से अधिवक्ता लादुलाल जाट ने अण्डरटेकिंग दी। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 8, 9 व 20 की ओर अधिवक्ता आर.के.चौधरी ने वकालत पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से अधिवक्ता राकेश सनाढ्य ने वकालत पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 6, 11, 19, 21 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्धएक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 25.11.2019 को प्रतिवादी संख्या 4, 5, 8, 9 व 20 के अधिवक्ता द्वारा जवाब दावा मय फहरिस्त दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और प्रतिवादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 शंकरलाल के स्थान पर सुखलाल पिता शंकरलाल प्रजापत निवासी सांसेरा व प्रतिवादी संख्या 18 बालीदेवी के स्थान पर शंकरलाल पिता मोहनलाल कुम्हार निवासी रेलमगरा का नाम जोडने के आदेश दिये गये। दिनांक 21.03.2022 को प्रतिवादी संख्या 3 व 12 की और से अधिवक्ता श्री राजकुमार जोशी ने वकालत नामा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सख्या 7, 10, 24, 22, 23 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 21.04.2022 को प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध जारी एक तरफा आदेश को निरस्त किया गया। दिनांक 18.01.2023 को प्रतिवादी संख्या 25 की ओर से अधिवक्ता दीप्ति दीक्षित ने वकालत पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 18.07.2023 को प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15, 16 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 12.06.2024 को उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे के अनुसार विभाजन की सहमति दी एवं आदेशिका पर यह नोट अंकित किया कि''वादग्रस्त आराजीयात का कब्जे के आधार पर विभाजन से सहमत है।'' एवं सहमति स्वरूप प्रतिवादी संख्या 17, 7, 3 व 12 के अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर किये गए। दिनांक 19.02.2024 को उभयपक्ष के अधिवक्तागण को सुना गया उभयपक्षकारान द्वारा कब्जे अनुसार विभाजन हेतु सहमति प्रकट की गई।

आज दिनांक को न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम रेलमगरा की जमाबन्दी संवत 2069—72 अनुसार खाता संख्या 1459 पर आराजी संख्या 2952 रकबा 5—00 पांच बिघा भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहित अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 8, 9 व 20 के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब दावे में कब्जे अनुसार विभाजन हेतु सहमति दि गई है। अधिवक्ता वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3, 7, 12, 17 कब्जे अनुसार विभाजन हेतु सहमत है। प्रतिवादी संख्या 2, 18, 25 के अधिवक्तागण द्वारा भी विभाजन किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। शेष प्रतिवादीगण 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 19, 21 22, 23, 24, के विरूद्ध प्रकरण में कार्यवाही एकतरफा हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 भी बावजूद सूचना अनुपस्थित है अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध आज दिनांक को एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। न्यायालय का मत है कि प्रत्येक खातेदार संयुक्त खातेदारी की भूमियों मे अपना हक एवं हिस्सा पृथक से विभाजन करा प्राप्त करने एवं प्राप्त

सहायक कलक्टर

हिस्से पर अन्य खातेदारन के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। जिससे उपस्थित पक्षकारान के सहमत होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना उचित है।

अतः वादीगण का वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाता है तहसीलदार रेलमगरा को राशि रू 2500/– के मौका कमिश्नर शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम रेलमगरा की जमाबन्दी संवत 2069–72 की खाता संख्या 1459 की आराजी संख्या 2952 रकबा 5–00 पांच बिघा भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहित समस्त खातेदार के मध्य राजस्व रिकोर्ड दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कर विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस 3 प्रति में तैयार कर प्रस्तुत करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली विभाजन योजना के इन्तजार में दिनांक 3/4/25 को पेश हो।

(बृजेश गुप्ता R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उक्त आदेश आज दिनांक 3/4/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ★ रेलमगरा ★

संख्याक नं. 1

मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर – 110/2018

किस्म मुकदमा – वाद

दायर दिनांक – 02.08.2018

निर्णय दिनांक – 3/4/25

अनवान

1. नारायण लाल पिता चुन्नीलाल जी जाति कुमावत, मो०–9828070104
2. मुकेशचन्द्र पिता लालुराम जी जाति ब्राहम्ण,
3. राजेश पिता लालुराम जी जाति ब्राहम्ण,
4. वरदीचन्द पिता चुन्नीलाल जी जाति कुमावत
5. रोशनलाल पिता चुन्नीलाल जी जाति कुमावत,
6. लालुराम पिता चुन्नीलाल जी जाति कुमावत,
7. अमरचन्द पिता चुन्नीलाल जी जाति कुमावत,
8. नानी बाई पत्नि चुन्नीलाल जी जाति कुमावत निवासीयान् माउ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. रोशनलाल पिता गोटुलाल जी जाति तेली निवासी पछमता हाल रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द म१०–9413020132

.....................**वादीगण**

बनाम

1. गोटी बाई पत्नि मुरलीधर जी जाति लौहार, उम्र वयस्क, निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. शंकरलाल पिता गोकल जी जाति जाट उम्र वयस्क, निवासी राजपुरी सुखवाल पिता शंकर जी प्रजापत तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. उदी बाई पत्नि रोशनलाल जी जाति प्रजापत उम्र वयस्क, निवासी –लक्ष्मीपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. सोहनी देती पत्नि देवकिशन जी जाति प्रजापत, उम्र वयस्क, निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. रोशन देवी पत्नि मदनलाल जी जाति प्रजापत, उम्र वयस्क, निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. मांगी देवी पत्नि खेमराज जी जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. कालुराम पिता घासीराम जी जाति जाट, निवासी रतनपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
8. सोहनी देवी पत्नि रामचन्द्र जी जाति प्रजापत, उम्र वयस्क, निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. पारस बाई पत्नि रतनलाल जी जाति प्रजापत, उम्र वयस्क, निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. बद्रीलाल पिता भैरा जी जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी लक्ष्मीपुरा २७ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
11. कस्तुर बाई पत्नि सुआलाल जी जाति कलाल, उम्र वयस्क, निवासी गोगाथला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
12. मागी बाई पत्नि खेमराज जी जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा ज़िला राजसमन्द
13. हेमलता पत्नि अनिल जी जाति अग्रवाल, उम्र वयस्क, निवासी बाहुबली कॉलोनी बांसवाडा
14. विभा पत्नि गोविन्द जी जाति अग्रवाल, उम्र वयस्क, निवासी 3/33 माही सरोवर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बांसवाडा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

15. कृष्णा पत्नि अशोक जी जाति अग्रवाल महाजन, निवासी आदर्श नगर, 16/7 निर्यारिटी रोड उदयपुर जिला उदयपुर
16. सुनिल पिता भगवतीलाल जी जाति अग्रवाल महाजन उम्र वयस्क निवासी ए–77/6 राजपुरा दरीबा कॉलोनी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
17. नानालाल पिता भुरालाल जी जाति सुखवाल उम्र वयस्क, निवासी ूज बामणिया कला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
18. बाली देवी पत्नि शान्तिलाल जी जाति कमावत उम्र वयस्क, निवासी शकरलाल पिता मोहन लाल कुम्हार नि रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
19. हीरालाल पिता रामलाल जी जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी बाडीया कुरज, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
20. पारस देवी पत्नि शुम्भुगिरी जी जाति गोस्वामी, उम्र वयस्क, निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
21. राजेश कुमार पिता रतनलाल जी जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
22. यशपाल पिता बद्रीनारायण जी जाति खण्डेलवाल ब्राहम्ण, उम्र वयस्क, निवासी गंगरार जिला चित्तोडगढ
23. सीमा पिता सुशील कुमार जी जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी झाडोल, उदयपुर जिला उदयपुर
24. कनक पत्नि रविन्द्र जी जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी झाडोल, उदयपुर जिला उदयपुर
25. राधा बाई पत्नि माधुलाल जी जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी आंजणा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
26. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

......................प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

अधिवक्ता वादीगण – रोशनलाल साहू
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, 18 – लादूलाल जाट
अधिवक्ता प्रतिवादी 4, 5, 8, 9, 20 – आर.के.चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 7 – परसराम जाट
अधिवक्ता प्रतिवादी 17 – आर.के.सनाढ्य
अधिवक्ता प्रतिवादी 3, 12 – राजकुमार जोशी
अधिवक्ता प्रतिवादी 25 – दीप्ति दीक्षित

उक्त प्रकरण दिनांक 3/4/25 को मेरे समक्ष पेश हुआ। वादीगण का वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाता है तहसीलदार रेलमगरा को राशि रू 2500/– के मौका कमिश्नर शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम रेलमगरा की जमाबन्दी संवत 2069–72 की खाता संख्या 1459 की आराजी संख्या 2952 रकबा 5–00 पांच बिघा भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहित समस्त खातेदार के मध्य राजस्व रिकोर्ड दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कर विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस 3 प्रति में तैयार कर प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 30/5/25 से पूर्व प्रस्तुत करे।

बृजेश गुप्ता (RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा

उक्त प्रारम्भिक डिक्री पर्चा आज दिनांक 3/4/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा